

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

सं. भाविप्रा ईपीएफ ट्रस्ट/परिपत्र/2020-21/2

29 जून, 2020

क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
उत्तरी/पश्चिम/पूर्व/दक्षिणी/उत्तर-पूर्वी क्षेत्र
एकक एवंनई दिल्ली/मुंबई/ कोलकाता/चेन्नई/गुवाहाटी

कार्यपालक निदेशक
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
उड़ान निरीक्षण एकक/ रेडियो निर्माण एवं विकास
नई दिल्ली

निदेशक
भारतीय विमानन अकादमी
नई दिल्ली

विमानपत्तन निदेशक
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
ने.सु.च.बो. हवाईअड्डा/चेन्नई हवाई अड्डा
कोलकाता/चेन्नई

निदेशक
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
केंद्रीय रेडियो भंडार डिपो/बी एवं यांत्रिक कार्यशाला
नई दिल्ली

प्राचार्य
सीएटीसी प्रयागराज

विषय: आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 89(1) के अंतर्गत भा.वि.प्रा कर्मचारी की निर्धारित संरक्षण पेंशन योजना में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 89(1) के तहत राहत प्राप्त करने के लिए।

महादय,

चूंकि कॉर्पस राशि को चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में कर्मचारी की कर योग्य आय में शामिल किया जा रहा है, धारा 89(1) के तहत राहत प्राप्त करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किया जाएगा। उक्त समय तक निगमित मुख्यालय दिनांक 02 मार्च 2020 के पत्र सं भा वि प्रा ई डी सी ए के 2019 रोलआउट परिपत्र के द्वारा जारी भा. वि प्रा ई डी सी पी एफ परिपत्र सं 2 को स्थगित किया जाता है।

भवदीय

(पंकज जैन)

कार्यपालक निदेशक (वित्त)

प्रतिलिपि :

- अध्यक्ष के विशेष कार्य अधिकारी
- सदस्य (मा.सं) / सदस्य (वित्त)
- कार्यपालक निदेशक (मा.सं)-1 / कार्यपालक निदेशक